

प्रेषक,

एचओपी० सिंह
प्रिशेष सचिव
उम्मीद शासन।

सेवा में,

१ निदेशक,

राज्य नगरीय दिकास अधिकरण,
उम्मीद, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य वरितार्थी तथा नगरीय मजिले वरितार्थी में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1522/76/एक/2013-14 दिनांक 15 जुलाई, 2015 व संख्या-1635/76/एक/2013-14 दिनांक 22 जुलाई, 2015 के संटंडी में मुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य वरितार्थी तथा नगरीय मजिले वरितार्थी में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 रो निदेशक, सूटा के विवरण पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-हरदोई की निकाय, शाहबाद की 15 आवासी 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-125/26-य0प्र0-14-38(आसारा-83)/2013 दिनांक 20.02.2014 द्वारा रु 44.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थीत रु 22.485 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट से लिङ्गलिंगित तालिका से स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु 22.485 लाख (रुपये बाईस लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय लिङ्गलिंगित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन सही स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)						
क्र०	जनपद/ का नाम	विवरण	कुल आवासी की संख्या	अनुसूचित वर्ग के आवासी की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थी की संख्या	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने यात्री धनराशि
1	2		3	4	5	6
1	हरदोई/शाहबाद		48	15	44.97	22.485
	योग			15	44.97	22.485

(रुपये बाईस लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ मात्र)

- अत धनराशि का द्वय आसरा योजना (आवासीय भवन) के संप्रवर्त्य में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(री), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन सुविधित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में थर्जित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम रतर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


-2/-

प्रियोगी/ज्ञानी

19/8/15
6pm

19/8/15


13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा जायेगा तथा धनराशि द्वय से जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करवी होगी।
 14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ आवरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
 15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबंध (एमओओप्य०) विष्याद्वा किये जाने हेतु रुद्धा द्वारा सम्बन्धित दृष्टा को निर्देशित किया जायेगा।
 16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का द्वय योजना आयोग, भारत संसद/राज्य सरकार द्वारा एस०एस०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का द्वय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आग द्वयक में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिवर्यय-आगोजनागत-02 शहरी आवास-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्या" के जामे जाला जायेगा।
3. यह अंडेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अवधीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-75/2015/1818(1)/69-1-15, दृष्टिनाम।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रश्न, 30प्र०,20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रथानीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिंहल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/आप्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, हरदोई।
5. वित्त (द्वय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र० शासन।
6. विधोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
7. समाज कल्याण (वजट प्रकोष्ठ), कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०, शासन।
8. गुरुद्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहयोग वेब गारटर, सुझा को विभागीय पेदसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कंप्यूटर सहायक/वजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।